



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

06 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 244 राँची, शनिवार,

27 मार्च, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

26 मार्च, 2021/5 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या-- 52/2021/एसडीआर/खंड-I। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं और जिसके अनुरोध को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786(अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा के वर्तमान उप-निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

एन. टी. भूटिया,
सचिव,

उपरोक्त अधिसूचना को अंग्रेजी में अनुवाद सहित, झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव,

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

26Th March, 2021/5 Chaitra, 1943 (Saka)

No. 52/2021/SDR/Vol--I In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who request for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the current bye-elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

By order,

N. T. Bhutia,
Secretary,